

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश**

क0 9/ नर्सिंग /सेल-1/2016/

भोपाल दिनांक / /2016

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
4. समस्त अधीक्षक क्षय चिकित्सालय म.प्र।
5. समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर म.प्र।

विषय :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों को ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशांसाओं के अनुसार वेतनमान दिये जाने के संबंध में

संदर्भ :- संचालनालय पत्र क्रं 9 नर्सिंग/ सेल-1/2015/1334 दिनांक 1.12.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि म.प्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दिनांक 01.04.2006 से ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशांसाओं के अनुरूप संशोधन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 23 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित किया गया है। जिसमें नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों को ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशांसा अनुसार वेतनमान अनुसूची 1 में अंकित किया गया है के पालन में वेतनमान एवं एरियर्स का भुगतान किया जाना है। परंतु आज दिनांक तक कुछ जिलों में संशोधित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि नर्सिंग संवर्ग में पदस्थ कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार वेतन/एरियर्स के भुगतान संबंधी कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

क्रं	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	वेतनमान
1	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	पी.बी.-2, 9300 - 34800 + 4200
2	नर्सिंग सिस्टर	पी.बी.-2, 9300 - 34000 + 3600
3	सिस्टर ट्यूटर	पी.बी.-2, 9300 - 34800 + 3600
4	स्टाफ नर्स	पी.बी.-1, 5200 - 20200 + 2800

उपरोक्तानुसार वेतनमान नहीं दिये जाने के संबंध में किसी भी जिले से शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अखेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


//2//

पृ.कमांक 9/नर्सिंग/सेल1/2016/560

भोपाल दिनांक / / 6/2016

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
- 2 अप्रर संचालक वित्त स्थानीय कार्यालय।
- 3 प्रभारी एच.एम.आई. शाखा स्थानीय कार्यालय।
- 4 आदेश नस्ति।


संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश